8(3.) - 3

पत्रांक–3/एम०–14/2023सा0प्र0...9948.../

**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 26-5-2023

**विषय– कार्यालय परिचारी एवं परिचारी (विशिष्ट) के स्थानान्तरण पर रोक के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या–481 दिनांक–11.01.1977 द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियो के स्थानान्तरण पर रोक के संबंध में संसूचित निर्णय को तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या 4651 दिनांक 25.04.1984 द्वारा पुनः परिचारित किया गया है, जो निम्नवत् है –

> "..........चूँकि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी अल्प वेतन भोगी हैं फलतः इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने से इन लोगों को काफी असुविधा होती है एवं नये स्थान पर इनके सामने आवास की भी कठिन समस्या आ जाती है, अतः इन लोगों को विशेष प्रशासनिक कारणों को छोड़कर (जैसे पद समाप्त होने पर, आदि) एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण नहीं किया जाय। यदि वे सचिवालय में कार्यरत हैं तो वे सचिवालय में ही काम करेंगे। यही स्थिति विभिन्न अनुमंडल तथा प्रखंड में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों पर भी लागू होगी पर स्वास्थ्य अथवा मनोवांछित आधार पर स्थानान्तरण की कार्रवाई उनके आवेदन पर की जा सकेगी।"

2. सातवें वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त सरकारी सेवकों को वर्गीरण समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के रूप में ही वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में समूह 'घ' अथवा चतुर्थवर्ग में कोई भी कर्मी नहीं हैं।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2916 दिनांक–16.09.2011 द्वारा अनुसेवी, आदेशपाल, दफ्तरी, जमादार पिउन, जमादार अर्दली का पदनाम कार्यालय परिचारी एवं परिपत्र संख्या 11358 दिनांक–01.09.2017 द्वारा समूह 'घ' के अन्य पदों का पदनाम परिचारी (विशिष्ट) किया गया है।

4. कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पद पर कार्यरत कर्मी अल्प वेतन भोगी होते हैं। इसलिए इनके स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व में संसूचित निर्णय को पुनः परिचारित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी।

5. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निदेश दिया जाता है कि–

"चूँकि कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पद पर कार्यरत कर्मी अल्प वेतन भोगी हैं फलतः इन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने से इन लोगों को काफी असुविधा होती है एवं नये स्थान पर इनके सामने आवास की भी कठिन समस्या आ जाती है, अतः इन लोगों को विशेष प्रशासनिक कारणों को छोड़कर (जैसे पद समाप्त होने पर, आदि) एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण नहीं किया जाय। यदि वे सचिवालय में कार्यरत हैं तो वे सचिवालय में ही काम करेंगे। यही स्थिति विभिन्न अनुमंडल तथा प्रखंड में कार्यरत कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) पर भी लागू होगी पर स्वास्थ्य अथवा मनोवांछित आधार पर स्थानान्तरण की कार्रवाई उनके आवेदन पर की जा सकेगी।"

6. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–5 से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुए इसका दृढ़ता से अनुपालन करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

26/5/23

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।